126

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर कैम्प उज्जैन
प्रकरण कमांक /2017 रिवीजन

R 1252-PBR-17

01 श्रीमती विघावती आयु 67वर्ष पति स्व. राजेन्द्रकुमारजी
02 रामचरण आयु 34 वर्ष पिता स्व. राजेन्द्रकुमारजी
03 श्याम आयु 30 वर्ष पिता स्व. राजेन्द्रकुमारजी
सर्वगण जाति ब्राहम्ण, निवासीगण चन्द्रशेखर आजाद चौक बडनगर जिला उज्जैन म.प्र.
.....आवेदकगण

विरूद्ध

01 ओमप्रकाश आयु 38 वर्ष पिता विष्णुदयालजी
02 श्रीमती रूकमणीबाई पति स्व. विष्णुदयालजी (मृत) निवासी शनि गली, बडनगर जिला उज्जैन म.प्र.
03 श्रीमती ममता आयु 40 वर्ष पुत्री विष्णुदयालजी पति विघाप्रकाशजी जाति ब्राहम्ण निवासी पीथमपुर तहसील व जिला धार म.प्र.
04 श्रीमती किरण आयु 32 वर्ष पुत्री विष्णुदयालजी पति देवप्रकाशजी जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पीथमपुर तहसील व जिला धार म.प्र.
05 श्रीमती सुनीता आयु 37 वर्ष पिता राजेन्द्रकुमारजी पति सर्वेशजी तिवारी जाति ब्राहम्ण निवासी आयुर्वेदिक सरकारी अस्पताल के सामने, आयुर्वेदिक की दुकान, रामगढ, रतलाम म.प्र.
06 श्रीमती सरिता आयु 32 वर्ष पुत्री राजेन्द्रकुमारजी पति दिलीपजी शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी पराग किराना, छोटी खजरानी, बजरंग मंदिर के सामने इन्दौर जिला इन्दौर म.प्र.
07 श्रीमती बबली आयु 27 वर्ष पुत्री राजेन्दकुमारजी पति हरिशजी शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी पराग किराना, छोटी खजरानी, बजरंग मंदिर के सामने इन्दौर जिला इन्दौर म.प्र.
08 भरतकुमार आयु 45 वर्ष पिता शिवनारायणजी
09 श्रवणकुमार आयु 40 वर्ष पिता शिवनारायणजी
10 पवनकुमार आयु 36 वर्ष पिता शिवनारायणजी
11 घनश्याम आयु 33 वर्ष पिता शिवनारायणजी सर्वगण जाति ब्राहम्ण, निवासीगण चन्द्रशेखर आजाद चौक, बडनगर जिला उज्जैन म.प्र.
12 श्रीमती गिरजाबाई आयु 44 वर्ष पति रमेशचन्द्रजी पिता शिवनारायणजी जाति ब्राहम्ण, निवासी सागोद तहसील सागोद जिला कोटा, राजस्थान
13 उमाबाई आयु 27 वर्ष पुत्री शिवनारायणजी जाति ब्राहम्ण निवासी चन्द्रशेखर आजाद चौक बडनगर जिला उज्जैन म.प्र.
14 अरूणकुमार आयु 57 वर्ष पिता नंदकिशोरजी जाति ब्राहम्ण, निवासी गेन्दा बावडी, बडनगर जिला उज्जैन म.प्र.

दिनांक 19-4-17

R 1252- P002117 02

15 उमेशकुमार आयु 40 वर्ष पिता नंदकिशोरजी जाति ब्राहम्ण निवासी गेन्दा बावडी बडनगर जिला उज्जैन म.प्र.

16 श्रीमती अनुसुईया आयु 47 वर्ष पुत्री नंदकिशोरजी पति सीतारामजी जाति ब्राहम्ण निवासी 45, श्रीजी नगर, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान

17 श्रीमती कृष्णाबाई पुत्री चिरोंजीलालजी पति शिवप्रकाशजी जाति ब्राहंम्ण निवासी टीआईटी मेन रोड, गीता मंदिर के सामने गली, रतलाम म.प्र.

........................अनावेदकगण

पुनिरिक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं.

न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी बडनगर द्वारा प्रकरण कमांक 43/14–15 अपील मे पारित आदेश दिनांक 20/02/2017 से असंतुष्ट होकर पुनिरिक्षण याचिका ।

मान्यवर महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनिरिक्षण याचिका निम्नलिखित प्रस्तुत है–

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

01 यह कि अनावेदक कमांक 1, 2, 3, 4 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 1–अ–6/15–16 मे पारित आदेश दिनांक 24/10/2015 से असंतुष्ट होकर अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बडनगर के न्यायालय मे दिनांक 08/04/2015 को यह तथ्य लिखकर प्रस्तुत की कि आदेश दिनांक 24/10/2014 की जानकारी अनावेदक कमांक 1 से 4 को दिनांक 20/03/2015 को पटवारी मोजा से जानकारी प्राप्त होने पर अनावेदकगण द्वारा दिनांक 20/03/2015 को आदेश की प्रतिलिपि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा 07/04/2015 को आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर 08/04/2015 को अपील प्रस्तुत की गई, अपील के साथ एक आवेदन धारा 5 अवधि विधान का प्रस्तुत कर दिनांक 24/10/2014 से 20/03/2015 तक की अवधि क्षमा कर अपील अवधि मे मान्य किये जाने हेतु प्रस्तुत किया । आवेदकगण द्वारा आवेदन का विधिवत् उत्तर अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया । अधिनस्थ अपील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण का धारा 5 अवधि विधान क आवेदन आधारहिन होने के पश्चात् भी स्वीकार किया गया उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर यह पुनिरिक्षण याचिका निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है–

// पुनिरिक्षण याचिका के आधार //

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1252–पीबीआर/17 [illegible] जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–5–2017	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–2–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदकगण की ओर से अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को इस निष्कर्ष के स्वीकार किया गया है कि अनावेदक कमांक 2 प्रश्नाधीन भूमि में हितबद्ध पक्षकार है, इसलिये उसे सुना जाना न्यायहित में आवश्यक है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	